सेवा में,

निदेशक / प्रथम अपीलीय अधिकारी

राष्ट्रीय शर्करा संस्था कल्याणपुर कानपुर (उ०प्र०)

राजीव दुबे पुत्र श्याम चन्द्र दुबे निवासी ग्राम गोपीनाथपुर पो० आ० बरूआ उत्तरी परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुल्तानपुर

--- प्रथमपक्ष

बनाम

जन सूचना अधिकारी श्री राकेश शुक्ला वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय शर्करा संस्था कल्याणपुर कानपुर ------ विपक्षी

विषय :- प्रथम अपील अ० धारा 19(1) जन सू० अधि० अधिनियम 2005
प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 5.6.015 को विपक्षी से सूचना मांगी गयी थी सूचना नहीं दिये जाने के विरुद्ध अपील

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी से जरिये डाक दिनांकित 5.6.015 को चार बिन्दुओं के बाबत सूचना मांगी गयी किन्तु विपक्षी द्वारा आज तक कोई सूचना व निर्देश नहीं दिया गया जिससे क्षुब्ध होकर प्रार्थी विपक्षी के विरुद्ध उक्त अपील प्रस्तुत कर रहा है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी को प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न प्रार्थनापत्र दिनांकित 5.6.015 में उल्लिखित बिन्दुओं के बाबत अतिशीघ्र सूचना दिलायी जावे तथा विपक्षी को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत व हर्जा खर्चा से दण्डित किए जाने की कृपा की जावे।

संलग्नक - प्रार्थनापत्र दिनांकित 5.6.015 की फोटो प्रति
2. रजिस्ट्री रसीद की फोटोप्रति
3. पोस्टल आर्डर की फोटो प्रति

प्रार्थी
Rajeev Dubey
राजीव दुबे पुत्र श्री श्याम चन्द्र दुबे
ग्राम - गोपीनाथपुर,
पो० आ० बरूआ उत्तरी
जिला सुल्तानपुर
दि० 22.7.015

RTI MATTER/BY SPEED POST

सं.25(52)/2014/RTI/Vol-VI

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

भारत सरकार

कानपुर – 208017।

फोन : 0512-2570542, 543

फैक्स : 0512-2570247

ई–मेल : nsikanpur@nic.in

दिनांक: 05.08.2015

सेवा में,

श्री राजीव दूबे सुत श्री ध्यान चन्द्र दूबे
नि० ग्राम – गोपीनाथपुर
पो० आ० – बरूआ उत्तरी
जनपद – सुल्तानपुर (उ० प्र०)

विशय :-सूचना का अधिकार अधिनियम–२००५ के तहत प्रथम अपील।

महोदय,

यह आदेश आपके दिनांक २२.०७.२०१५ की प्रथम अपील के संदर्भ में है, जिसमें आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के तहत किये गये अपने दिनांक ०५.०६.२०१५ के उत्तर/सूचना के विषय में की है। इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन का उत्तर/सूचना संस्था के केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक ०८.०७.२०१५ के माध्यम से भेजा जा चुका है, जो कि निम्नानुसार है:-

बिंदु सं. १ के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि सी सी एस (सी सी ए) रूल्स का अभिप्राय सैंट्रल सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, १९६५ से है, जिसके अंतर्गत किसी भी केंद्रीय कर्मचारी का आचरण नियमित किया जाता है. इन रूल्स को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारी के आचरण को नियमित करने के लिए जारी किये गए है.

बिंदु सं.२ के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपूर विभागाध्यक्ष है. संस्था खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सर्वजनिक मत्रालय का सबॉर्डिनेट कार्यालय है. ऊपर उच्चाधिकारी संयुक्त सचिव (शर्करा प्रशासन) , खाद्य एव सार्वजनिक विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली - ११०००१ है.

बिंदु सं. ४ के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि संस्था के सभी कर्मचारियों के वेतन संबधी सूचना संस्था के वेबसाइट पर सूचना का अधिकार के अंतर्गत **mandatory disclosure** में उपलब्ध है, एवं वेबसाइट का **link http://nsi.gov.in/Rtiact 2005.htm** है (प्रतिलिपि संलग्न है).

बिंदु सं.३ और ४ के उर्वरित अंश के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि मांगी गई जानकारी में सूचना की व्याख्या की अपेक्षा है जो जनसूचना अधिकार की परिभाषा में नहीं आती। इसके अलावा आपके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के संदर्भ में यह पुनः सूचित किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं होता कि ऐसी जानकारी प्रदान करें जिसमें निष्कर्ष अथवा अनुमान निकालने की धारणा बनाने की अथवा सूचना की विवेचना करने की अथवा आवेदक द्वारा स्थगित समस्याओं का समाधान करने की अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता हो।

यह आदेश कानपुर में दिनांक ०५.०८.२०१५ को दिया गया है।

यदि आप इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप दूसरी अपील इस निर्णय की तिथि या इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से ९० दिनों के अन्दर निम्न पते पर केन्द्रीय सूचना आयोग में कर सकते हैं:-

केन्द्रीय सूचना आयोग,
कमरा नं०-३२६, द्वितीय तल,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-११००६६।

भवदीय,

(नरेन्द्र मोहन)
निदेशक एवं
अपीलीय अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।